।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत कारोली

राजस्व वाद सं० 1/21 तारीख रज्जू 25.02.2019

01– खज्जू पुत्र स्व० पलटू उम्र करीब 71 जाति चमार
02– सुखदेई पत्नि नन्नूराम पुत्रवधु पलटू उम्र करीब 66 साल
03– श्रीचन्द पुत्र स्व० नन्नूराम पोत्र स्व० पलटू उम्र करीब 46 साल
04– मनीष पुत्र स्व० रामप्रसाद पोत्र नन्नूराम प्रपोत्र पलटू उम्र करीब 09 साल जाति चमार नाबालिग जरिये सरपरस्त दादी सुखदेई
निवासियान ग्राम गाजूका तहसील व जिला अलवर –वादीगण

बनाम

01– ईसू पुत्र इल्ली उम्र करीब 41 साल जाति मेव
02– अयूब पुत्र इल्ली उम्र करीब 36 साल जाति मेव
03– हज्जू पुत्र इल्ली उम्र करीब 33 साल जाति मेव
04– हाजरा बेवाह इल्ली उम्र करीब 59 साल जाति मेव
05– ईसूनी पुत्री इल्ली जाति मेव
06– मैमूना पुत्री इल्ली जाति मेव
07– धोली पुत्री इल्ली जाति मेव
08– सब्बा पुत्री इल्ली जाति मेव
निवासियान ग्राम चांदूकी तहसील व जिला अलवर
09– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अलवर
–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांकः 28.12.2021

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 475 रकबा 1 ऐयर, 476 रकबा 17 ऐयर, 499 रकबा 35 ऐयर, 500 रकबा 21 ऐयर, 501 रकबा 12 ऐयर, 208 रकबा 18 ऐयर, 509 रकबा 33 ऐयर,510 रकबा 20 ऐयर, 518 रकबा 27 ऐयर, 519 रकबा 13 ऐयर, 520 रकबा 28 ऐयर, 521 रकबा 13 ऐयर कुल किता 12 रकबा 2.38 है० वाके ग्राम गाजीका तहसील व जिला अलवर में स्थिति है, जो आराजी विवादित आराजी है। उक्त विवादित आराजी के साबिक आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

257 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 266 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 269 रकबा 2
14 बिस्वा, 261 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 262 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल
किता 5 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा थे। उक्त आराजी का पूर्व में तन्हा खातेदार
काश्तकार पलटू पुत्र डूंगाराम जाटिया था। जिसने उक्त शामिल आराजी
वादीगण बुजुर्ग श्री पलटू पुत्र लल्लूराम जाति चमार निवासी ग्राम चान्दूकी
तहसील अलवर को बिल एवज 11,000/- रूपये में विक्रय कर दिया था।
वादीगण के पिता व चाचा व पडचाचा श्री पलटूराम एक ग्रामीण परिवेश का
रहने वाला भोलाभाला सीधा साधा अनपढ व्यक्ति था और कानून की अथवा
लिखत पढत के बारे में वह कोई जानकारी नही रखता था। जिस कारण
बैयनामा दिनांक 26.04.1970 को उपरोक्त आराजी का बैयनामा वादीगण के
पिता श्री पलटूराम के हक में निष्पादन व पंजीयन कराया जाना तय पाया गया
था उस दिन गांव के कुछ व्यक्ति सम्पतराम, छज्जूराम, इल्ली पुत्र सूरजमल व
कुछ अन्य लोग भी साथ आये थे। दिनांक 26.04.1970 को प्रतिवादी संख्या 01
लगा० 08 के पिता व पति इल्ली पुत्र सूरजमल जाति मेव जो कि एक बहुत ही
चतुर चालाक व समझदार व्यक्ति था, तहसील परिसर अलवर में पिता पलटूराम
को अपने मिलने वाले दस्तावेज लेखक श्री ओमकार प्रसाद भार्गव के पास ले
गया। वहां पर उपरोक्त आराजी का एक बैयनामा वादीगण के पिता श्री
पलटूराम पुत्र लल्लूराम के हक में तहरीर व तकमील कराया गया, जिस पर
विक्रेता पलटूराम पुत्र डूँगारराम ने अपने निशानी अंगूठा कर दिया एवं सम्पतराम
व छज्जूराम ने अपने निशानी अंगूठा बतौर गवाही कर दिये उक्त इल्ली पुत्र
सूरजमल बयनामा लिखाते समय अपने मिलने वाली व्यक्ति कल्लू खां पुत्र
वजीरा मेव निवासी गूंगसाका अलवर को भी अपने साथ ले आया। उक्त बैयनामा
पर कल्लू खां ने भी अपने हस्ताक्षर बतौर गवाही करा कर उक्त बयनामा के
तहरीर हो जाने के बाद से पंजीयन हेतु उपपंजीयक अलवर के कार्यालय में
प्रस्तुत किया गया, जिनके समक्ष समस्त विक्रयशुदा राशि 11000/- रूपये
पलटू पुत्र लल्लूराम ने ही विक्रेता पलटूराम पुत्र डूंगाराम को अदा किये थे।
उपपंजीयक अलवर के समक्ष विक्रेता व गवाहन ने अपने अपने निशानी अंगूठा
आदि कर दिये ओर जो बैयनामा उपपंजीयक अलवर द्वारा तसदीक कर दिया
गया। बैयनामा तहरीर व तस्दीक किये जाने के पश्चात व पंजीयन होने से पूर्व
उक्त इल्ली पुत्र सूरजमल ने चालाकी व बेईमानीपूर्वक दस्तावेज लेखक श्री
ओमकार प्रसाद भार्गव एवं सम्बन्धित लिपिक से मिल्लत कर असल विक्रय पत्र
के पृष्ठ सं० 2 में लाईन संख्या 6 व 7 के मध्य यह इबारत और दर्ज करा ली
"1/8 हिस्सा व इल्ली 7/8 हिस्सा उद्योग काश्त" व इसी प्रकार उक्त
बैयनामा के पृष्ठ संख्या 04 की लाईन संख्या 10 के अंत में बैयनामा के अंतिम
मद के बीच में यह इबारत और दर्ज करा ली "7/8 हिस्सा इल्ली व इलियास
पुत्र सूरजमल वासी चान्दूकी तह. अलवर को बय की है।" चालाकी व बेईमानी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

पूर्वक जो इबारत बढाई गई है उसमें इल्ली के पिता का नाम एवं उसकी जाति जानबूझकर दर्ज नही की गई क्योंकि के पिता का नाम सूरजमल है और उसकी जाति मेव है जबकि विक्रेता पलटूराम पुत्र डूँगाराम जाति से जटिया था जो अनुसूचित जाति की तारीफ में आता है एवं धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार किसी भी अनुसूचितजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि का बेचान मेव जाति के व्यक्ति के नाम नही हो सकता था इसलिए जानबूझकर जाति भी दर्ज नही की गई। विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तकरण खोला गया वह विक्रय पत्र के आधार पर सही प्रकार से पलटूराम पुत्र लल्लूराम 1/7, इल्ली पुत्र सूरजमल हिस्सा 7/8 सा. चांदूकी तस्दीक किया गया था, जिस इंतकाल में भी जानबूझ कर इल्ली पुत्र सूरजमल की जाति का इन्द्राज नही किया गया। बैयनामा को निरस्त कराने हेतु मा० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1 अलवर दीवानी वाद संख्या 317/17 (सीएसआई नं० 331/17) बउनवान खज्जू पुत्र पलटू वगै० वादीगण बनाम ईसू पुत्र इल्ली जाति मेव वगै० दायर किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रस्तुत किया गया। वाद दिनांक 31.07.2018 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। बैयनामा में विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 475 रकबा 1 ऐयर, 476 रकबा 17 ऐयर, 499 रकबा 35 ऐयर, 500 रकबा 21 ऐयर, 501 रकबा 12 ऐयर, 208 रकबा 18 ऐयर, 509 रकबा 33 ऐयर, 510 रकबा 20 ऐयर, 518 रकबा 27 ऐयर, 519 रकबा 13 ऐयर, 520 रकबा 28 ऐयर, 521 रकबा 13 ऐयर कुल किता 12 रकबा 2.38 है० वाके ग्राम गाजीका तहसील व जिला अलवर के साबिक आराजी खसरा नम्बर 257 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 258 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 259 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 261 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 262 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम गाजीका तहसील अलवर के 7/8 हिस्से की हद तक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निरस्त किया गया है। विवादित आराजी का इंतकाल बैय 7/8 हिस्सा बाबत इल्ली पुत्र सूरजमल के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में इल्ली पुत्र सूरजमल का नाम अंकित किया है वह इन्द्राज वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने बाबत दिनांक 15.01.2019 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया जिन्होने दुरूस्त कराने से इंकार कर दिया एवं वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। वादीगण ने वादग्रस्त सालिम आराजी को अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जयें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जयें अधिवक्ता इकबाल जवाबदावा पेश किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण ने न्यायालय को निवेदन किया है कि यदि वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो हमें किसी प्रकार का कोई एतराज नही है।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प कारोली में पेश हुई। वादीगण उपस्थित। वादीगण को सुना। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा प्रमाणित प्रति नकल फैसला एवं डिक्री दिनांक 31.07.2018 न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1 अलवर बउनवान खज्जू वगै० बनाम ईशू वगै०, जमाबन्दी सम्वत 2071–2074, फोटोकापी मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051, फोटोकापी बैयनामा दिनांक 25.04.1970 पर मनन किया। प्रकरण बउनवान खज्जू वगै० बनाम ईशू वगै० में न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1 अलवर ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2018 के द्वारा हाल खसरा नम्बर 475 रकबा 1 ऐयर, 476 रकबा 17 ऐयर, 499 रकबा 35 ऐयर, 500 रकबा 21 ऐयर, 501 रकबा 12 ऐयर, 208 रकबा 18 ऐयर, 509 रकबा 33 ऐयर, 510 रकबा 20 ऐयर, 518 रकबा 27 ऐयर, 519 रकबा 13 ऐयर, 520 रकबा 28 ऐयर, 521 रकबा 13 ऐयर कुल किता 12 रकबा 2.38 है० वाके ग्राम गाजीका तहसील व जिला अलवर के साबिक आराजी खसरा नम्बर 257 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 258 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 259 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 261 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 262 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम गाजीका तहसील अलवर के 7/8 हिस्से की हद तक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निरस्त किया गया है।

अतः वादीगण को विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 257 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 258 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 259 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 261 रकवा 1 बीघा 18 बिस्वा, 262 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम गाजीका तहसील अलवर हाल आराजी खसरा नम्बर 475 रकवा 1 ऐयर, 476 रकवा 17 ऐयर, 499 रकबा 35 ऐयर, 500 रकबा 21 ऐयर, 501 रकवा 12 ऐयर, 208 रकबा 18 ऐयर, 509 रकबा 33 ऐयर, 510 रकवा 20 ऐयर, 518 रकबा 27 ऐयर, 519 रकबा 13 ऐयर, 520 रकबा 28 ऐयर, 521 रकवा 13 ऐयर कुल किता 12 रकबा 2.38 है० वाके ग्राम गाजीका तहसील व जिला अलवरे के 7/8 हिस्से की हद तक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को लिखाया जाकर पक्षकारान गांवों के संग अभियान-2021 [illegible] कार्यवाही में पक्षकारान सुनाया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल [illegible]वाल)
उप जिलाधिकारी
[illegible]